

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम मुख्यालय, जयपुर

(वित्त-पेंशन विभाग)

क्रमांक:-एफ-4 / वित्त / जीपीएफ / सीपीएफ / 2020 / 1087

दिनांक 9/7/20

महा प्रबन्धक (क्रय-भण्डार)

मुख्य उत्पादन प्रबन्धक / लेखाधिकारी.

मुख्य प्रबन्धक / प्रबन्धक (वित्त)


सहायक लेखाधिकारी (भुगतान)

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम

विषय:-जीपीएफ / सीपीएफ खाते पूर्ण करवाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि श्रीमान अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक महोदय के समक्ष युनिटों/आगारों में जीपीएफ/सीपीएफ खाते पूर्ण नहीं होने की शिकायत प्राप्त हुई है। जिसे श्रीमान द्वारा काफी गंभीरता से लिया गया है।

अतः समस्त मुख्य प्रबंधकों/ईकाई प्रभारी को निर्देशित किया जाता है कि आपके आगार के समस्त जीपीएफ/सीपीएफ खाते एक सप्ताह में पूर्ण करावें तथा सेवानिवृत्त जीपीएफ/सीपीएफ सदस्यों की स्वीकृतियां जारी करावें। जीपीएफ/सीपीएफ खाते दिनांक 31.05.2020 तक के एक सप्ताह में पूर्ण कर इस आशय का प्रमाण पत्र यूनिट प्रभारी एवं प्रबंधक (वित्त) के हस्ताक्षर से दिनांक 17.07.2020 तक भिजवाना सुनिश्चित करावे। विलम्ब के लिए यूनिट प्रभारी एवं प्रबंधक (वित्त) व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे। इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें।



वित्तीय सलाहकार